



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

क.रा.बी.नि.अस्पताल / ESIC Hospital  
समीप पुलिस लाइन, रुद्रपुर, उत्तराखंड  
Near Police Line, Rudrapur, Uttarakhand  
Email : [ms-rudrapur.uchal@esic.nic.in](mailto:ms-rudrapur.uchal@esic.nic.in)  
Website : [www.esic.nic.in/www.esic.in](http://www.esic.nic.in/www.esic.in)

No. 611/-ESICH/RDR/Sexual Harassment/2020

Date-28/12/2024

## **कार्यालय आदेश संख्या 113 वर्ष 2024**

### **Office Order No 113 Year 2024**

भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-2, खंड-1 दिनांक 23.04.2013 में प्रकाशित, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-4 के अनुसरण में, चिकित्सा अधीक्षक (प्रभारी) द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए तत्काल प्रभाव से "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

In pursuance of Section-4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 published in The Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-I dated 23.04.2013, the Medical Superintendent (I/C) has constituted "Internal Complaints Committee" consisting of following members for the prevention and redressal of complaints of Sexual Harassment and for matters connected therewith or incidental there to with immediate effect: -

1	डॉ भावना / Dr Bhawna	बी. चि. अधि. II / IMO II	पीठासीन अधिकारी / Presiding Officer
2	डॉ पूजा / Dr Pooja	बी. चि. अधि. II / IMO II	सदस्य / Member
3	डॉ विमल कुमार जैसवाल / Dr. Vimal Kumar Jaiswal	बी. चि. अधि. II / IMO II	सदस्य / Member
4	श्रीमती तान्या अरोरा / Mrs. Tanya Arora	अधिवक्ता / Advocate	बाहरी सदस्य / External Member

गैर-सरकारी संगठन से नियुक्त सदस्य को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही आयोजित करने के लिए फीस या भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो चिकित्सा अधीक्षक (प्रभारी) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

The Member appointed from Non-Governmental organization shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Complaint Committee, as may be prescribed by the Medical Superintendent (I/C).

(डॉ आनंद पाटिल)

चिकित्सा अधीक्षक (प्रभारी)

प्रतिलिपि:

1. संबंधित अधिकारी। Concerned Officer.
2. सभी संबंधित शाखाएं, क.रा.बी.नि.अस्पताल, रुद्रपुर, उत्तराखंड। All concerned branches, ESIC Hospital, Rudrapur, Uttarakhand.
3. कार्यालय प्रति। Office Copy.